उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकाकरी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या – 32/2017

श्याम सुन्दर बेदिया वगै0 बनाम् मतिलाल बेदिया वगै0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
07-02-2020	–:: आदेश ::–	

अभिलेख उपस्थापित। मौजा–पाली, थाना–पतरातू, थाना नं0–64, खाता नं0–05, प्लॉट सं0– 1444, रकबा– 0.43 एकड़ भूमि की वापसी हेतु निम्न न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या– 48/2015–16 श्याम सुन्दर बेदिया वगै0 बनाम् मतीलाल बेदिया एवं अन्य में दिनांक 27.01.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील वाद दायर किया गया है। अपील वाद अंगीकृत करते हुए विपक्षीगण को प्रश्नगत् भूमि के बावत् दावा–दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में उपस्थापित करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त किया गया। विपक्षीगण दिनांक 07.09.2018 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। फलतः विपक्षीगण का उक्त दायर अपील वाद में उदासिनता को देखते हुए एक पक्षीय सुनवाई की कार्रवाई प्रारम्भ की गई ।

अपीलर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने एवं समर्पित कागजातों तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दायर अपील वाद में प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की भूमि है तथा दोनों पक्ष आदिवासी हैं। उक्त अपील वाद के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय में उपस्थित सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य से स्पष्ट है कि यह मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है, जिसके लिए राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 215(5) के तहत् दायर अपील वाद में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता हैं। अपली आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

314/विविध 24/04/2020

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, 07/02/2020
रामगढ़।

07/02/2020
उपायुक्त,
रामगढ़